उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-56/2023/एस-2-।/429253/दस-2023-2552/2021

लखनऊ :: दिनॉक: 17 नवम्बर, 2023

<u>कार्यालय-आदेश</u>

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/ 2008 दिनॉक 5-11-2014 एवं सपठित सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारियों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (एसीपी) का लाभ दिये जाने हेतु गठित निंग कमेटी की बैठक दिनॉक 19.10.2023 में की गयी संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरान्त निम्न विवरणानुसार स्तम्भ-2 में उल्लिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से **द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन (एसीपी)** अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	कोषाधिकारी/ लेखाधिकारी (सादृश्य ग्रेड वेतन 5400) के पद पर नियुक्ति की तिथि	08 वर्षीय वैयक्तिक वेतनमान (सादृश्य ग्रेड पे 6600) अनुमन्य होने की तिथि	**द्वितीय ए0सी0पी0 के रूप में ग्रेड पे 7600 की देयता की तिथि**
1	2	3	4	**5**
1.	श्री मोनिस अली सिद्दीकी	10.11.1999	10.11.2007	**10.11.2015**
2	श्री पवन कुमार	05.07.1999	05.07.2007	**05.07.2015**

संजीव सिंह

विशेष सचिव।

<u>संख्या व दिनॉक तदैव।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

3- संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उ0प्र0।

4- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज।

5- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।

6- संबंधित अधिकारीगण।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजवीर सिंह)

अनु सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in